



संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल, मेरठ

दिनांक.....

22 जुलाई 2005

## मान्यता प्रमाण पत्र

NOC

प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 2762/ 15-13-91-4(46)/ 91 दिनांक 30/11/1991 मे ऐसे विद्यालयों जो कक्षा नर्सरी अथवा प्रथम से आठ तक अंग्रेजी माध्यम से संचालित है और किसी भी स्तर से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे विद्यालय सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता लेना चाहते है को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अर्न्तगत विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है। सेठ आनन्दराम जैपुरिया स्कूल सेक्टर 14-सी वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद को निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 2916/15-7-05-16 (78) / 2005 दिनांक 14-07-2005 द्वारा अनापत्ति प्रमाण - पत्र निर्गत किया जा चुका है।

अतः विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने एवं टी० सी० निर्गत करने हेतु विभागीय नियमों के अनुसार अधिकृत है।



22/7/05  
(जय प्रकाश राय)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल, मेरठ।  
22/7/05